न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5 / 2022 (राजसमन्द डिक्री)

गोपाल सिंह पिता श्री हीरा सिंह रावत, निवासी टोंगी चौडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. अजयपाल सिंह पिता स्वर्गीय श्री मीठू सिंह रावत, निवासी बाडिया चौडा टोंगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. देवेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय श्री मीठू सिंह रावत, निवासी बाडिया चौडा टोंगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. साहिल सिंह पिता श्री श्रवण सिंह रावत, निवासी बाडिया चौडा टोंगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. विष्णु सिंह पिता श्री श्रवण सिंह रावत, निवासी बाडिया चौडा टोंगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी गोपाल सिंह रावत, निवासी बाडिया चौडा टोंगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मीठू सिंह रावत, निवासी बाडिया चौडा टोंगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
7. रणजीत सिंह पिता श्री लाल सिंह रावत, निवासी टोंगी चौडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थन
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भीम दि.
22.11.2021 प्रकरण सं0 91 / 2013

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री चन्द्र प्रकाश पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री बृजेश प्रकाश डांगी अभिभाषक रे.सं. 1 से 7

———::———

निर्णय **दिनांक 26–09–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में स्वर्गीय मीठू सिंह व रणजीत सिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:32 IST
Reason: SelfAttested

का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टोंगी, तहसील भीम में वादीगण के खाते व कब्जे की आराजी नंबर 2266 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है, किन्तु प्रतिवादी ने वादीगण की उक्त आराजी में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि से जबरन बेदखल कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। अतः प्रतिवादी को उक्त आराजी नंबर 2266 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा से बेदखल कर कब्जा वादीगण को पुनः दिलाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 22–11–2021 को वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–02–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री बृजेश प्रकाश डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के अपीलान्ट ने साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन भी प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि कोरोना महामाही के कारण अपील में विलम्ब हुआ है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत मयाद शुमार की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण प्रतिवादी के जवाबदावे हेतु नियत था, किन्तु बिना जवाब लिये एवं बिना प्रतिवादी को सुने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में दिनांक 25–05–2015 को निर्णय पारित कर दिया, जिस पर प्रतिवादी ने आप न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो आप न्यायालय द्वारा दिनांक 30–10–2018 को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को पुनः रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज किया गया, किन्तु रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं कर प्रकरण में पुनः

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी/अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायायल में प्रतिवादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में विवादित आराजी नंबर 2266 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के पूर्वाधिकारी लालसिंह के नाम दर्ज है, जो लालसिंह द्वारा सन् 1974 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि ''वादी के पिता द्वारा वर्ष 1974 में भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है। वादी भारतीय वायु सेना में होने से समय से खेती की जमीन को सम्भाल नहीं पाया जिससे प्रतिवादी ने 1 बीघा 15 बिस्वा पर कब्जा कर लिया।'' उक्त आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–11–2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 26–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:32 IST
Reason: SelfAttested